राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :–राजप / डीपीसी / अचल.स.वि / 2015 / दिनांक : 07.05.2015

समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
समस्त अधीक्षक संलग्न,चिकित्सालय संघ राजस्थान।
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें–जोन।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,राजस्थान।
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 2013 (01.01.2014) एंव 2014 (01.01.2015) की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भः–इस निदेशालय का पत्रांकःराजपत्रित / डीपीसी / अ.सं.वि / 2015 / 169 दिनांक 2.3.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो0प्र0) विभाग के परिपत्र प. 13(76)कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 08.04.2013, 19.09.2013, 20.11.2013, 01.01.2014 एवं 12.02. 2015 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति विवरण सीधे ही अपने नियुक्ति प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें, तथा जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नही करेगें, उनकी विजीलैन्स क्लीयरेन्स नही दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नही किये जाने एंव अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

अतः इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने तथा आपके अधीन कार्यरत चिकित्सकों / राजपत्रित अधिकारियों के वर्ष 2013 (01.01.2014) एंव 2014 (01.01.2015) की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण निर्धारित प्रपत्र में अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय को अविलम्ब आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जा सकें। जिन चिकित्सकों ने अभी तक अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नही किये है, उनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर विचार नही किया जावे। अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

ह0

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक :–राजप / डीपीसी / अचल.सं.वि / 2015 / 401 दिनांक : 07.05.2015
14.5.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो0प्र0) विभाग राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (पक / ई.एस.आई. / एड्स / मोबाईल सर्जिकल यूनिट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारी निदेशालय।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वैबसाईट पर अप–लोड किये जाने एवं समस्त संबंधित को ई–मेल द्वारा भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

addldirgaz@gmail.com

(ADDLDIRGAZ@GMAIL.COM)